

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक,  
कानपुर विकास विकास, कानपुर।

कार्यालय ज्ञाप


पत्रांक - डी/228 /मुनि/काविप्रा/15-16

दिनांक - 01/04/16

भवन मानचित्र स्वीकृत करते समय विभिन्न शासनादेशों के क्रम में कास्ट इण्डेक्स तथा पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर अद्यावधिक किये जाने के क्रम में वर्तमान लागू दरों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की अनुमति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गयी है-

|  |   |     |                        |
|--|---|-----|------------------------|
| 1. मानचित्र शुल्क (300 वर्गमी० से कम, आवासीय)        | - | रु० | 8.00 प्रति वर्गमी०     |
| 2. मानचित्र शुल्क (300 वर्गमी० से अधिक, आवासीय)      | - | रु० | 12.00 प्रति वर्गमी०    |
| 3. ग्रुप हाउसिंग आच्छादित क्षेत्रफल पर               | - | रु० | 50.00 प्रति वर्गमी०    |
| 4. व्यवसायिक आच्छादित क्षेत्रफल पर                   | - | रु० | 60.00 प्रति वर्गमी०    |
| 5. औद्योगिक (1000 वर्गमी० क्षेत्रफल तक)              | - | रु० | 1600.00                |
| औद्योगिक (1000 वर्गमी० क्षेत्रफल से अधिक)            | - | रु० | 16000.00               |
| 6. निरीक्षण शुल्क आच्छादित क्षेत्रफल पर              | - | रु० | 17.00 प्रति वर्गमी०    |
| 7. मलबा शुल्क आच्छादित क्षेत्रफल पर                  | - | रु० | 36.00 प्रति वर्गमी०    |
| 8. सुदृढीकरण शुल्क आच्छादित क्षेत्रफल पर             | - | रु० | 81.00 प्रति वर्गमी०    |
| 9. वाह्य विकास शुल्क भूखण्ड क्षेत्रफल पर             | - | रु० | 1611.00 प्रति वर्गमी०  |
| 10. इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अंतर्गत लाइसेन्स फीस | - | रु० | 1,72,685.00 प्रति एकड़ |

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उक्त के साथ जिन प्रकरणों में माँग पत्र निर्गत किया जा चुका है, परन्तु निर्धारित समय में धनराशि जमा नहीं की गयी है, उन प्रकरणों में भी वर्तमान दर ही लागू मानी जाएगी।

  
(स्वराज गांगुली)  
मुख्य नगर नियोजक

प्रतिलिपि -

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सचिव को सूचनार्थ।
4. वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ।
5. अधीक्षण अभियन्ता (प्रवर्तन) को सूचनार्थ।
6. नगर नियोजक/सहा० नगर नियोजक।
7. समस्त अवर अभियन्ता।

(स्वराज गांगुली)  
मुख्य नगर नियोजक